

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, कासगंज।

नीलामी सूचना

एतदद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय जनपद न्यायाधीश के स्वीकृति आदेश दिनांकित 17.02.2025 के अनुक्रम में जनपद न्यायालय कासगंज के 18 कक्षीय न्यायालय भवन एवं स्थल विकास कार्य के अन्तर्गत मुख्य भवन के सम्मुख इन्टरलॉकिंग कार्य में बाधा बने पेड़ों को हटवाये जाने के सम्बन्ध में कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी कासगंज वन प्रभाग, कासगंज के पत्रांक 2449/22-1 दिनांक 12.02.2024 के द्वारा चिन्हित किये गये कुल 18 नग पेड़ों की नीलामी दिनांक 24.02.2025 को समय 04:30 बजे जनपद न्यायालय कासगंज के केन्द्रीय नजारत अनुभाग में की जायेगी इच्छुक व्यक्ति समय से उपस्थित आकर नीलामी की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। नीलामी से सम्बन्धित विवरण एवं शर्तों के सम्बन्ध में किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय केन्द्रीय नजारत जनपद न्यायालय कासगंज से जानकारी ली जा सकती है।

उपरोक्त 18 पेड़ों की नीलामी हेतु नियम व शर्तें निम्नवत हैं।

1. सभी अनुज्ञापियों को नीलामी से पूर्व केन्द्रीय नजारत जनपद न्यायालय कासगंज में जमानत धनराशि 1000/-रुपये जमा करनी होगी। नीलामी समाप्ति पर यदि उसके नाम नीलामी नहीं होती है तो जमानत धनराशि उस व्यक्ति को वापस कर दी जायेगी।
2. क्रेता नियमानुसार आयकर एवं स्टाम्प शुल्क जमा करेंगे।
3. वृक्षों की कटाई आरम्भ करने से पूर्व सफल नीलामी प्राप्तकर्ता को अनुमति पत्र प्राप्त होने के एक सप्ताह के अंदर समस्त धनराशि जमा करना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात् ही वृक्षों का कटान एवं निकासी की जा सकती है। यदि वह समस्त धनराशि नहीं जमा करता है तो उसकी जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
4. वृक्षों की नीलामी की धनराशि जनपद न्यायालय कासगंज में तथा कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग, कासगंज द्वारा नियमानुसार निर्धारित अन्य शुल्क को राजकीय कोष में जमा करने के उपरांत ही वृक्ष को काटने की अनुमति प्राप्त होगी।
5. सभी वृक्षों की कटाई क्रेता द्वारा की जायेगी।
6. नीलामी स्वीकृत होने के पश्चात नीलामी प्राप्तकर्ता को वृक्षों तथा कटी हुई लकड़ी की देखभाल की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
7. नीलामी प्राप्तकर्ता एवं उनके प्रतिनिधियों द्वारा कार्य प्रारम्भ करने की तिथि से अंतिम निकास की तिथि तक सरकारी सम्पत्ति को नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा। नुकसान होने पर समस्त उत्तरदायित्व नीलामी प्राप्तकर्ता का होगा।
8. अधिकतम बोली बोलने वाले व्यक्ति के पक्ष में नीलामी छोड़ी जायेगी तथा नीलामी की अंतिम बोली स्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश, कासगंज को होगा।
9. माननीय जनपद न्यायाधीश, कासगंज द्वारा बिना किसी कारण बताये उच्चतम बोली को अस्वीकार किया जा सकता है।
10. नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रार्थना पत्र के साथ अपना आधार कार्ड पहचान पत्र व स्वप्रमाणित फोटो की प्रति दाखिल करना अनिवार्य होगा तथा नीलामी के समय मूल दस्तावेज लाना अनिवार्य होगा।
11. नीलामी से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही हेतु क्षेत्राधिकार जनपद न्यायालय कासगंज का होगा।
12. उपरोक्त शर्तों का पालन न करने की दशा में वृक्षों की नीलामी का विक्रय रद्द समझा जायेगा।

(अनुतोष कुमार शर्मा)

अध्यक्ष, नीलामी समिति/

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0 01
कासगंज।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 01- जिला सूचना अधिकारी कासगंज को G.O. No. 562/19-2-2007-1007(T.C.) दिनांकित 04.07.2007 के अनुरूप समस्त समाचार पत्रों में निःशुल्क कराये जाने पर चस्पा किये जाने हेतु।
- 02- निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, लखनऊ 30 प्र0 को G.O. No. 562/19-2-2007-1007(T.C.) दिनांकित 04.07.2007 के अनुरूप विज्ञप्ति का प्रकाशन कराये जाने हेतु।
- 03- 18 न्यायालय कक्ष भवन जजी कासगंज के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।
- 04- कलेक्ट्रेट कासगंज के सूचनापट पर चस्पा किये जाने हेतु।
- 05- नोडल अधिकारी कम्प्यूटर को जनपद न्यायालय कासगंज एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

दिनांक- .02.2025

(अनुतोष कुमार शर्मा)

अध्यक्ष, नीलामी समिति/

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0 01
कासगंज।